


02/12/2020 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता रहे।
 उपस्थित। अधिवक्ता मपीलोट बावजूद
 सूचना अनुपस्थित। न्यायालय समय
 तक इंतजार किया बावजूद सूचना
 मपीलोट एवं मपीलोट अधिवक्ता
 अनुपस्थित रहे है मपीलोट मपीलोट
 भद्रम हाजरी एवं भद्रम पेटरी
 खारिज की जाती है। न्यायालय
 हाजा द्वारा दिनांक 05/08/2019
 को पारित स्वगत आदेश खारिज
 किया जाता है पत्रावली फैलाव गुण
 नाल के अग होकर बाद तकनीत
 दायित्व दफतर है आदेश से
 इजलास सुनाया गया


 21/12/2020



राजस्थान अधिवक्ता
 बाड़मेर